न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–248/25

1. रामेश्वर पुत्र झम्मन (मृतक)
   1/1. शकुन्तला देवी पत्नि रामेश्वर
   1/2. यादवेन्द्र पुत्र रामेश्वर
   1/3. आदितेन्द्र पुत्र रामेश्वर
   1/4. मनीष पुत्र रामेश्वर
   1/5. विद्यासागर पुत्र रामेश्वर
   1/6. हितेन्द्र पुत्र रामेश्वर
   1/7. मनोज पुत्र रामेश्वर
   1/8. शैलेन्द्र पुत्र रामेश्वर
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)
   1/9. वर्षा शर्मा पुत्री रामेश्वर, पत्नि मोहित शुक्ला, जाति ब्राहम्ण, निवासी हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. रोशनलाल पुत्र चन्द्रभान (मृतक)
   1/1. राजेन्द्र पुत्र रोशनलाल
   1/2. पुरूषोत्तम पुत्र रोशनलाल
   1/3. दुर्वासा पुत्र रोशनलाल
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी कलसाडा, तहसील बयाना, भरतपुर (राज0)

वादीगण/ मूल अप्रार्थीगण

किस्तूरचन्द पुत्र रेवतीलाल (मृतक)
4. हरीदत्त पुत्र रेवतीलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी कलसाडा, तहसील बयाना
   5/1. सम्पत्ति देवी पत्नि वेदप्रकाश
   5/2. भुवनेश पुत्र वेदप्रकाश
   5/3. धीरज पुत्र वेदप्रकाश
   5/4. जूही पुत्र वेदप्रकाश
   5/5. रेनू पुत्री वेदप्रकाश
6. हंसराज पुत्र रेवतीलाल
7. विश्वास पुत्र रेवतीलाल
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी कलसाडा, तहसील बयाना, जिला–भरतपुर
8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बयाना

शोभनार्थ अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा0दी0

दिनांकः– 12/11/26

निर्णय

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थीगण
श्री अतरसिंह कैन वकील अप्रार्थीगण
श्री वेदप्रकाश शर्मा वकील शोभनार्थ अप्रार्थीगण

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि पुराना खसरा नम्बरान के वर्तमान सैटिलमैन्ट द्वारा नवीन खसरा नम्बरान 180 रकबा 0.22, 185 रकबा 0.04, 463 रकबा 0.55, 759 रकबा 0.08, 760 रकबा 0.26, 767 रकबा 0.30, 1130 रकबा 0.24, 1398 रकबा 0.46, 1515 रकबा 0.29, 1610 रकबा 0.06, 1611 रकबा 0.04, 1778 रकबा 0.17, 2063 रकबा 0.72, 2078 रकबा 0.34, 2079 रकबा 0.49 2088 रकबा 0.24, 2091 रकबा 0.16, 2131 रकबा 0.09, 3489 रकबा 0.15, 3546 रकबा 0.07, 3547 0.19, 3609 रकबा 0.05, 3620 रकबा 0.01, 3621 रकबा 0.02, 3624 रकबा 0.05, 4217 रकबा 0.16 किता-26 कुल रकबा 4.55 है० ग्राम कलसाडा तहसील बयाना में स्थित है कि जिसमें प्रार्थीगण के पति व पिता रामेश्वर 1/3 हिस्से का व हरीदत, हेमराज, वेदप्रकाश, विश्वास पिसरान किस्तूरचंद 1/9 हिस्से का व पुरुषोतम, दुर्वासा, राजेन्द्र पिसरान रोशन 1/3 हिस्से का व ग्राम कैर तहसील बयाना में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2619 रकबा 0.80, 2620 रकबा 0.07, 2624 रकबा 0.15, 2750 रकबा 0.05, 2751 रकबा 0.45, 2755 रकबा 0.25, 2756 रकबा 0.70, 2757 रकबा 0.36, 2758 रकबा 0.33, 2761 रकबा 0.67, 2762 रकबा 0.01, 2763 रकबा 0.67, 2764 रकबा 0.34, 2765 रकबा 0.34, 2766 रकबा 0.34, 3767 रकबा 0.50, 2768 रकबा 0.01, 2769 रकबा 1.38, 2771 रकबा 0.13, 2772 रकबा 0.19, 2773 रकबा 0.01, 2774 रकबा 0.06, 2775 रकबा 0.05, 2776 रकबा 0.01, 2777 रकबा 0.24, 2775 रकबा 0.45, 2776 रकबा 0.01, 2777 रकबा 0.24, 2778 रकबा 0.43, 2779 रकबा 0.06, 3014 रकबा 0.43, 3015 रकबा 0.55, 3016 रकबा 0.14, 3017 रकबा 0.15, 3018 रकबा 0.06, 3019 रकबा 0.20, 3020 रकबा 0.67, 3021 रकबा 0.02, 3022 रकबा 0.01, 3023 रकबा 0.05, 3026 रकबा 0.25, 3027 रकबा 0.12, किता-87 रकबा 28.56 है० में हरीदत, हेमराज, विश्वास पिसरान किस्तूरचंद 1/3 हिस्से के रामेश्वर पुत्र झम्मन 3/4 हिस्सा के भौरी देवा झम्मन 1/4 दर 1/3 पुरुषोतम, दुर्वासा, राजेन्द्र प्रसाद 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज थे। वर्णित आराजी पक्षकारान के पिता व पति के मध्य बीसियों साल पूर्व आपस में बंटवारा हो गया और तभी से अलग-अलग डौल मैड कायम चली आ रही है मुताबिक बट प्रार्थीगण के बाबा श्री झम्मनलाल के बट व हिस्से में आई जिनके वर्तमान सैटिलमैन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बरान 1398 रकबा 0.46, 2063 रकबा 0.12, 2078 रकबा 0.34, 2079 रकबा 0.19, 2131 रकबा 0.09, 3547 रकबा 0.19, 4210 रकबा 0.24, 4217/1 रकबा 0.05 ग्राम कलसाडा व खसरा नम्बर 2624 रकबा 0.14, 2750 रकबा 0.05, 2751 रकबा 0.45, 2767 रकबा 0.50, 2768 रकबा 0.01, 2769 रकबा 1.38, 2783 रकबा 0.13, 2784 रकबा 0.77, 2785 रकबा 0.05, 2786 रकबा 0.75, 2787 रकबा 0.32, 2788 रकबा 0.27, 2837 रकबा 0.91, 2838 रकबा 0.85, 2839 रकबा 0.42, 2840 रकबा 0.01, 2841 रकबा 0.52, 3013 रकबा 0.06, 3014 रकबा 0.43, 3015 रकबा 0.55, 3016 रकबा 0.14, 3017 रकबा 0.15 ग्राम कैर बनाये गये है जिन पर श्री झम्मनलाल अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी रहे व उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण के पिता व पति श्री रामेश्वर अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज आराजी रहे व उनके स्वर्गवास के बाद हम प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात की बाबत वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व शोभनार्थ अप्रार्थी के विरुद्ध डिवीजन व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु न्यायालय हाजा प्रस्तुत किया था। न्यायालय हाजा

के आदेशानुसार प्रारम्भिक डिक्री कर दिया और तहसीलदार बयाना को रिकार्ड, मौके व कब्जे के अनुसार विवादित आरजी के खुरे बनाये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार बयाना ने दिनांक 09.12.2013 को मुताबिक रिकार्ड व कब्जे के खुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.01.2016 को मुताबिक खुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार बयाना तारीख 09.12.2013 के अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के आदेश तारीख 18.01.2016 को कर दिये। उक्त निर्णय व डिक्री का अमल रिकार्ड में हो गया। वादी/अप्रार्थी उक्त निर्णय व डिक्री तारीख 18.01.2016 के विरूद्ध अपील माननीय अपील अधिकारी भरतपुर के यहां अपील कर दी वहां से दिनांक 10.03.2017 को अपने आदेश द्वारा दिनांक 18.01.2016 न्यायालय हाजा द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री तारीख 18.01.2016 को निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु रिमान्ड कर दी जो माननीय राजस्व गण्डल द्वारा अपने निर्णय में राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के आदेश को उचित माना। अब उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा रिमान्ड होकर आ चुकी है। प्रतिवादी/प्रार्थीगण अपने कब्जे व खातेदारी की आराजी जो उक्त वर्णित की गई है में बाजरा व तिल की फसल बोई है जो मौके पर डगकर सरसब्ज खडी हुई है। दिनांक 07.08.2025 को प्रतिवादी/प्रार्थीगण अपनी फसल की देखभाल करने गये तो वादीगण/अप्रार्थीगण एक सलाह कर मौके पर आ गये और धमकी दी कि हमने उपखण्ड अधिकारी बयाना का निर्णय निरस्त करा दिया है अब तेरे द्वारा बोई हुई फसल को लट्ठ व पैसे की ताकत से काटकर ले जायेगें। अगर तुमने रूकावट डाली तो हम लट्ठ व पैसे वाले व्यक्ति को मुन्तकिल कर देगें और तुम्हारी आराजी पर कब्जा करा देगें लेकिन तुमको इस आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग नहीं करने देगें। वादीगण/मूल अप्रार्थीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बडी भारी क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी और व्यर्थ में ही मुकदमेबाजी बढेगी।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/मूल अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की वे प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न करें न किसी को रहन, बय व मुन्तकिल करें रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 07 की ओर से प्रकरण में जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार कर अपने विशेष कथन में वर्णित किया है कि खसरा नम्बरान 1130 रकबा 0.24, 1398 रकबा 0.46, 1515 रकबा 0.29, 1610 रकबा 0.06, 1611 रकबा 0.04, 1778 रकबा 0.17, 180 रकबा 0.22, 185 रकबा 0.04, 2063 रकबा 0.12, 2078 रकबा 0.34, 2079 रकबा 0.19, 2088 रकबा 0.24, 2091 रकबा 0.16, 2131 रकबा 0.90, 3489 रकबा 0.07, 3546 रकबा 0.07, 3547 रकबा 0.19, 3609 रकबा 0.05, 3620 रकबा 0.01, 3621 रकबा 0.02, 3624 रकबा 0.05, 4217/1 रकबा 0.05, 4217/2 रकबा 0.05, 4217/3 रकबा 0.06, 463/1 रकबा 0.37, 463/2 रकबा 0.18, 759/0.08, 760 रकबा 0.26, 767/0.30 वाके ग्राम कलसाडा, तहसील बयाना में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 9, 1/27-1/27 भाग के व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 राजेन्द्र, पुरूषोत्तम, दुर्वासा 1/9-1/9 भाग के व अप्रार्थी हरीदत्त 1/12 भाग व अप्रार्थी सम्पति देवी, भुवनेश, धीरज, जूही, रेनू सभी 1/60-1/60 भाग के व हसंराज उर्फ हेमराज व अप्रार्थी विश्वास

1/12–1/12 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी व इसी प्रकार 2757 रकबा 0.36, 2759 रकबा 0.33, 2761 रकबा 0.67, 2762 रकबा 0.10, 2763 रकबा 0.67, 2764 रकबा 0.63, 2765 रकबा 0.34, 2766 रकबा 0.34, 2771 रकबा 0.13, 2772 रकबा 0.19, 2773 रकबा 0.01, 2774 रकबा 0.06, 2775 रकबा 0.05, 2776 रकबा 0.01, 2777 रकबा 0.24, 2778 रकबा 0.43, 2781 रकबा 0.28, 2782 रकबा 0.09, 2820 रकबा 0.29, 2820 रकबा 0.29, 2801 रकबा 0.29, 2822 रकबा 0.32, 2833 रकबा 0.65, 2834 रकबा 0.40, 2835 रकबा 0.76, 2836 रकबा 0.21, 3019 रकबा 0.20, 3020 रकबा 0.67, 3021 रकबा 0.02, 3022 रकबा 0.01, 3023 रकबा 0.05, 3026 रकबा 0.25, 3027 रकबा 0.12, 2619 रकबा 0.80, 2620 रकबा 0.07, 2755 रकबा 0.25, 2756 रकबा 0.70, 2779 रकबा 0.76, 2780 रकबा 0.70, 2790 रकबा 0.72, 2791 रकबा 0.33, 2792 रकबा 0.01, 2793 रकबा 0.02, 2794 रकबा 0.31, 2795 रकबा 0.15, 2796 रकबा 0.16, 2797 रकबा 0.73, 2814 रकबा 0.17, 2815 रकबा 0.43, 2816 रकबा 0.42, 2817 रकबा 0.39, 2825 रकबा 1.15, 2826 रकबा 0.14, 2815 रकबा 0.43, 2816 रकबा 0.42, 2817 रकबा 0.39, 2825 रकबा 1.15, 2826 रकबा 0.14, 2958 रकबा 0.21, 2959 रकबा 0.15, 2960 रकबा 0.13, 2999 रकबा 0.30, 3000 रकबा 0.06, 3001 रकबा 0.10, 3002 रकबा 0.20, 3003 रकबा 0.09, 3004 रकबा 0.08, 3018 रकबा 0.06, 2624 रकबा 0.15, 2750 रकबा 0.05, 2751 रकबा 0.45, 2767 रकबा 0.50, 2768 रकबा 0.01, 2769 रकबा 1.38, 2783 रकबा 0.13, 2784 रकबा 0.77, 2785 रकबा 0.05, 2786 रकबा 0.75, 2787 रकबा 0.32, 2788 रकबा 0.27, 2837 रकबा 0.91, 2838 रकबा 0.85, 2839 रकबा 0.42, 2840 रकबा 0.01, 2841 रकबा 0.52, 3013 रकबा 0.06,, 3014 रकबा 0.43, 3015 रकबा 0.55, 3016 रकबा 0.14, 3017 रकबा 0.15 वाके ग्राम कैर, तहसील बयाना में स्थित है। जिसमें जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 9, 1/27–1/27 भाग के व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 राजेन्द्र, पुरूषोत्तम, दुर्वासा 1/9–1/9 भाग के व अप्रार्थी हरीदत्त 1/12 भाग व अप्रार्थी सम्पति देवी, भुवनेश, धीरज, जूही, रेनू सभी 1/60–1/60 भाग के व हसंराज उर्फ हेमराज व अप्रार्थी विश्वास 1/12–1/12 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना विधिविरूद्व तरीके से कानून के विपरित असलियत को छिपाते हुये न्यायालय हाजा दायर किया है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को छिपाय है कि उनके द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर, के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील व प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया था। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मेन्टेनेबिल्टी के बिन्दु पर ही अस्वीकार कर दिया था। व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्व प्रार्थना पत्र रिव्यू मय प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया है, जो आज भी लम्बित है व प्रार्थीगण को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं दिया गया है और प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा से उक्त तथ्यों को छिपाते हुये यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिजी के है। प्रार्थीगण द्वारा खिलाफ कानून व मौका के प्रार्थना पत्र में वर्णित शामिल भाग के आराजी की बाबत दादरसी चाही है, जबकि प्रार्थीगण शामिल भाग के खातेदार काश्तकार नहीं है और ना ही प्रार्थीगण का मद संख्या 3 में वर्णित आराजी की बाबत डिक्लेरेशन का दावा विचाराणीय है। जब प्रार्थीगण उक्त आराजी के शामिल भाग के खातेदार नहीं है व प्रार्थीगण का डिक्लेरेशन का वाद पत्र भी विचारणीय नहीं है वहां पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित शामिल भाग की आराजी की बाबत कोई भी दादरसी विरूद्व अप्रार्थीगण पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी के प्रार्थीगण न्यारान्यूर शामिल भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी

नहीं है और ना ही प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है न कभी रहा है ना अब है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी में कोई बाजरा व तिल की फराल काश्त की है, बल्कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने भाग की आराजी पर मालिक व काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। और कानून के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में सम्पूर्ण विवादित आराजी में अपने आप को भागीदार व सह खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी होना दर्ज किया है जब स्वंय प्रार्थीगण ने मद संख्या 2 में सम्पूर्ण विवादित आराजी में अपने आप को सहभागीदार खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी होना दर्ज किया है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी का असत्य होना व गलत होना स्वंय प्रार्थीगण के कथन से साबित है व प्रार्थीगण मद संख्या 2 में वर्णित कथन से मुकर नहीं सकते है। प्रार्थीगण चतुर चालाक किस्म के लठैत सरगना पैसे वाले व्यक्ति है, जिनके की नीयत में बदयान्ति आ गई है और वह अवैधानिक तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करना चाहते है। जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 ने भी उक्त प्रकार का जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक रामी पक्षकारान को सुना। अभिभाषक उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरे 2019 (1) सीजे राज 450 पैरा 14, 2017(1) सीजे(सिविल)(राज) 134 के पैरा संख्या 8, 2013(2) डीएनजे(राज) 613, एवं अन्य का ससम्मान अवलोकन किया।

हमने अभिभाषक सभी पक्षकारान को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व विवाद की स्थिति सभी पक्षकारान के मध्य साबित है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न आदेश अनुसार स्वीकार योग्य है:–

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण में वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम कलसाडा व कैर में सभी पक्षकारान एक–दूसरे की कब्जेकाश्त , खातेदारी के हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत रूकावट पैदा नहीं करें। रहन बय मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यह अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना